

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/868/

जबलपुर, दिनांक 25/02/2017

श्री पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डे, आत्मज श्री बाल मुकुंद पाण्डे को सहायक पेड़—तीन (हार्डवेयर टैक्नीशियन) के पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रूपये 5200—20200 + ग्रेड पे रु. 1900 में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित आगामी आदेश पर्यन्त परीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :—

1. यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के कायांलय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र ने इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक भामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियों दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13-04-2005 के अनुसार पारिमापित अंशदान पेशन प्रणाली लागू होगी।
5. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण—पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्त आदेश स्वभेद निरस्त माना जावेगा।

6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को रचाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. यह कि, आवेदन पत्र के साथ सलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के बेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
9. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।
11. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभातशीत माना जावेगा।
12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
13. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रखारख्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

Sd/-

(अखिल कुमार श्रीवास्तव)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर एवं परीक्षा)

पृष्ठांकन क्रमांक C/869 /

जबलपुर, दिनांक 23/02/2017

प्रतिलिपि :-

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर (म.प्र.)
- रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./क्वी.एल./सतर्कता/एक्जाम एंड लेवर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,

3. रजिस्ट्रार (आईटी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार, जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 एम्प्लाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेपित,
5. कोपालय अधिकारी, जिला कोपालय, जबलपुर,
6. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यर्पीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर, म.प्र.,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर एवं एकजाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्था. / अवकाश / लेखा / बजट / पेशन / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्री पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डे, आत्मज श्री बाल मुकुंद पाण्डे, पोस्ट आफिस गुंजी, (हिंडोरिया) जिला—दमोह (म.प्र.) 470771,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(बन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)